सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,
क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर–छ0ग0

Assistant Director of Town & Country Planning, Reg. office Ambikapur-C.G.

पताः–
पूराना रोजगार कार्यालय रिंग रोड नमनाकला
अम्बिकापुर (छ.ग.)
Email townplanambikapur@gmail.com
Telephone:-07774220156

Address:-
Old imply office ring road namanakalan
ambikapur (C.G.)
townplanambikapur@gmail.com
Telephone:-07774220156

अम्बिकापुर, दिनांक 17.08.17

क्रमांक 2228/अवि–22/धारा–29/नग्रानि/2017

प्रति,

फर्म जे.आर.पी. ऐसोसिएट्स
(भागीदारी फर्म)
ग्राम– नमनाकला पटपरिया
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ0ग0)

विषयः– विकास अनुज्ञा बावत्।
संदर्भ :– आपका आवेदन पत्र क्रमांक 2350 दिनांक 28.12.2016 ।

उपरोक्त विशयांतर्गत संदर्भित आवेदन पत्र में यथावणिति भूमि **मे0 जे0 आर0 पी0 एसोसिएट्स, नमना कला, अम्बिकापुर, जिला– सरगुजा (छ0ग0) के** द्वारा स्वामित्व की भूमि ग्राम नमनाकला प0ह0न0 20 रा0नि0मं0 अम्बिकापुर –5, तह0– अम्बिकापुर, जिला– सरगुजा (छ0ग0) स्थित भूमि का खसरा क्र0– 151/145 रकबा 0.385 हे0/3850.00 वर्ग मी0 भूमि पर **आवासीय प्रयोजन (भूखण्डीय विकास)** उपयोग/विकास को कार्यान्वित करने हेतु विकास अनुज्ञा छ0ग0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम–1973 की धारा 30(3) एवं छ0ग0 भूमि विकास नियम–1984 के नियम 27 के तहत निम्न शर्तो के अध्यधीन रहते हुए दी जाती है :–

01. अनुज्ञा इस आधार पर दी जाती है कि आवेदित भूमि आवेदक के पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य में है। स्वामित्व संबंधी विवाद के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। सारभूत तथ्य के संबंध में कोई असत्यता पाये जाने पर यह अनुज्ञा प्रतिसंहत की जा सकेगी।
02. भूमि का व्यपवर्तन राजस्व विभाग से कराना आवश्यक है।
03. किसी भी स्थिति में विकास अनुज्ञा के विरूद्ध कोई विकास/निर्माण न किया जावे।
04. परिसर में आवश्यक सुविधाओं जैसे जल आपूर्ति, मल निकास, सोकपिट, सेप्टिक टैंक, मार्गो का विकास, खुले स्थानों का विकास एवं विद्युतीकरण, नाली का निर्माण इत्यादि आवेदक को करना आवश्यक होगा।
05. स्थल पर अभिन्यास अनुसार सीमांकन कराया जाकर सीमांकित अभिन्यास का सत्यापन इस कार्यालय से कराया जाना आवश्यक है।
06. पहुंच मार्ग की विकास योजना के अनुसार प्रस्तावित चौड़ाई 18.0 मी. रखते हुए मार्ग मध्य से 9.0 मी. छोड़कर भूखण्ड रेखा होगी। रोड वाईडनिंग का क्षेत्रफल 410.74 वर्गमीटर को आवेदक द्वारा स्वयं के व्यय में आवागमन हेतु मार्ग का निर्माण करना आवश्यक होगा।
07. छ0ग0 नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम 2010 की धारा 33 में विहित प्रावधानों के अनुसार यह अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक 11.08.2017 से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। निर्धारित कालावधि में विकास निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर इस अनुज्ञा को वर्षानुवर्ष विधिमान्य कराना होगा, जिसकी कुल अवधि प्रथम अनुज्ञा दिनांक 11.08.2017 से अधिकतम तीन वर्ष तक हो सकेंगी।
08. भवन0 निर्माण की अनुमति संबंधित कार्यालय से प्राप्त करना आवश्यक है।
09. इस अनुज्ञा का यह आशय नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय या अर्ध–शासकीय विभागों से प्राप्त की जाने वाली अनुमतियों से मुक्त है। अर्थात् यदि किसी प्रकार की अनुमति आदि प्राप्त करना हो तो ऐसी अनिवार्यता, इस अनुज्ञा से प्रभावित नहीं होगी।

JRP ASSOCIATES
PARTNER